(2011) 5 एस.सी.आर. 719

भारत संघ एवं अन्य

बनाम

बी. किशोर

(2006 की दीवानी अपील संख्या 1045)

6 अप्रैल, 2011

[आफ़ताब आलम एवं आर.एम. लोढ़ा, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून - नियुक्ति - अनुकंपा नियुक्ति - पात्रता - उत्तरदाता की पत्नी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो गई थी - उत्तरदाता ने अपनी पत्नी के विभाग से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किए - इसके बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया - विभाग ने उत्तरदाता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे 'अत्यधिक अभावग्रस्त परिस्थितियों' में नहीं माना गया - न्यायाधिकरण ने इस निर्णय को बरकरार रखा - उत्तरदाता ने रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह स्वीकार करते हुए अनुमति दी कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना अभावग्रस्तता पर अनुकंपा नियुक्ति को रोकने या देने के मानदंड के रूप में जोर नहीं देती है और अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों की सूची में उत्तरदाता का नाम शामिल करें - औचित्य -अभिनिर्धारित : उचित नहीं है - उच्च न्यायालय के अवलोकन के विपरीत, मृतक कर्मचारी के आश्रितों की अभावग्रस्तता मामले को "अनुकंपा नियुक्ति" की योजना के तहत लाने के लिए पहली पूर्व-शर्त है - यदि अनुकंपा नियुक्ति की योजना से अभावग्रस्तता के तत्व और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को बाहर कर दिया जाता है, तो यह सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में एक आरक्षण बन जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत समानता के आदर्श के सीधे विपरीत होगा - उत्तरदाता रोजगार की तलाश में विदेश

गया और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने से पहले वहां चार साल तक रहा - हालांकि वह वित्तीय उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन उसे निश्चित रूप से अभावग्रस्त या निराश्रित के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता - इसलिए उत्तरदाता का मामला 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन के तहत परिकल्पित अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के अंतर्गत नहीं आता - अन्यथा भी और उक्त कार्यालय ज्ञापन के किसी संदर्भ के बिना, उत्तरदाता का मामला अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मूल उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा या संतुष्ट नहीं करता है - इसके अलावा, उत्तरदाता पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है और अनुकंपा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर उसकी नियुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 16।

उत्तरदाता की पत्नी की मृत्यु उनके दूसरे बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। उस समय वह डाक लेखा निदेशालय के कार्यालय में वरिष्ठ लेखाकार के रूप में कार्यरत थीं। उत्तरदाता ने उनकी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति बकाया राशि के भुगतान के लिए आवेदन किया और बाद में अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी अनुरोध किया। उत्तरदाता को मौद्रिक देय राशि के भुगतान के बाद, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उत्तरदाता के दावे पर विचार किया गया। उत्तरदाता को सूचित किया गया कि वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं पाया गया क्योंकि उसे "अभावग्रस्त परिस्थितियों" में नहीं माना गया था। उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए उत्तरदाता ने न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए.दायर किया। न्यायाधिकरण ने ओ.ए. को खारिज कर दिया। उत्तरदाता ने रिट याचिका दायर की।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति देने ***के साथ*** **यह निर्धारित किया कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना अभावग्रस्तता को नियुक्ति रोकने या देने के मानदंड के रूप में महत्व नहीं देती है और अनुकंपा नियुक्ति मृतक अधिकारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप की जानी चाहिए जब उसके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो। उच्च**

न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में एक छोटे बेटे की देखभाल और पालन-पोषण करना था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि (उत्तरदाता के) परिवार को आय की आवश्यकता नहीं थी और इसके बाद अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों की सूची में उत्तरदाता का नाम शामिल करें। अतः यह वर्तमान अपील है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1.1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के बारे में पूर्णतः गलत धारणा पर आधारित है। उच्च न्यायालय के अवलोकन के विपरीत, मृतक कर्मचारी के आश्रितों की अभावग्रस्तता, मामले को "अनुकंपा नियुक्ति" की योजना के तहत लाने के लिए पहली पूर्व-शर्त है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन उस कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है, जो उसकी मृत्यु पर अचानक निराश्रित अवस्था में आ गया हो। यदि अनुकंपा नियुक्तियों की योजना से अभावग्रस्तता के तत्व और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को हटा दिया जाता है, तो यह सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में एक आरक्षण बन जाएगा, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अधिकृत समानता के आदर्श के विपरीत होगा। [कंडिका 5] [725-ङ-ज; 726-क]

1.2. केंद्र सरकार ने 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के संबंध में संशोधित और समेकित निर्देश जारी किए थे, जो उस समय लागू हो चुके थे जब उत्तरदाता का मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। कार्यालय ज्ञापन का खंड 1 योजना के उद्देश्य का वर्णन करता है, सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के आश्रित

परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना, जिससे उसका परिवार गरीबी और आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह गया हो, ताकि संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को वित्तीय निराश्रयता से राहत मिल सके और उसे आपात स्थिति से उबरने में मदद मिल सके। उक्त कार्यालय ज्ञापन का खंड 5 पात्रता मानदंड निर्धारित करता है और यह अपेक्षा करता है कि परिवार अभावग्रस्त हो और वित्तीय निराश्रयता से राहत के लिए तत्काल सहायता का पात्र हो। [कंडिका 7] [726-छ-ज; 727-क -ख]

1.3. उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता द्वारा दायर रिट याचिका में कहा गया था कि वह बेरोजगार था। यह भी कहा गया था कि अगस्त, 1988 में, उसका एक मित्र उसे रोजगार की तलाश में सिंगापुर ले गया था। लेकिन वहां भी उत्तरदाता "लाभकारी नौकरी" पाने में असमर्थ रहा। वह 1992 में लगभग चार साल वहां रहने के बाद भारत वापस आ गया। रिट याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि उत्तरदाता वित्तीय उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन उसे निश्चित रूप से अभावग्रस्त या निराश्रित के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 8] [727-छ -ज; 728-क]

1.4. उत्तरदाता का मामला स्पष्ट रूप से 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत नहीं आता था। अन्यथा भी और 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन के किसी भी संदर्भ के बिना, उत्तरदाता का मामला अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मूल उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा या संतुष्ट नहीं करता है। [कंडिका 9] [728-ख -ग]

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राज कुमार (2010) 11 एस.सी.सी. 661 - पर भरोसा किया गया।

2. उत्तरदाता के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे पर विचार करने में एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य पूरी तरह से छूट गया था। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी ओ.ए. के साथ संलग्न सत्यापन में उसने जून, 1998 में

अपनी आयु 58 वर्ष बताई थी। जब तक कि ओ.ए. के सत्यापन में उसकी आयु गलत तरीके से नहीं बताई गई हो, वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय 54 वर्ष का रहा होगा और जब उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका स्वीकार की थी, तब वह 61 वर्ष का रहा होगा। दूसरे शब्दों में, वह पहले से ही सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका था और अनुकंपा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर उसकी नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता था। [कंडिका 11] [728-घ-च]

नज़ीर संदर्भ:

(2010) 11 एस.सी.सी. 661 भरोसा किया गया कंडिका 6

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2006 की दीवानी अपील संख्या 1045

मद्रास उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 12225/1998 में दिनांक 1.8.2001 के निर्णय और आदेश तथा रिट याचिका संख्या 12225/1998 के अंतर्गत रिट याचिका संख्या 25135/2000 एवं रिट याचिका संख्या 12225/2003 में दिनांक 24.11.2000 के आदेश से संबंधित।

श्वेता वर्मा, मुकेश कुमार (वी.के. वर्मा के लिए); अपीलकर्ताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

आफ़ताब आलम; न्यायमूर्ति। 1. विशेष अनुमति प्रदत्त यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध है, संदर्भित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे उत्तरदाता का नाम "अनुकंपा नियुक्ति उम्मीदवारों" की सूची में शामिल करें।

2. उत्तरदाता की पत्नी के. जानकी की मृत्यु 1 सितंबर, 1993 को उनके दूसरे बच्चे को

जन्म देते समय हो गई थी। उस समय वह मद्रास डाक लेखा निदेशालय के कार्यालय में वरिष्ठ लेखाकार के रूप में कार्यरत थीं। 21 सितंबर, 1993 को उत्तरदाता ने उनकी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति बकाया राशि के भुगतान के लिए आवेदन किया। मृतक की मां द्वारा एक प्रतिद्वंद्वी दावा किया गया था, लेकिन उत्तरदाता उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल रहा और उस आधार पर उसे अपनी दिवंगत पत्नी की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति अनुतोष के रूप में 71,000/- रुपये की राशि के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन के रूप में 2,998/- रुपये प्रति माह का भुगतान प्राप्त हुआ।

3. 11 जनवरी, 1994 को उत्तरदाता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध किया, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा उसे सूचित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के उसके दावे पर के. जानकी की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति बकाया राशि के भुगतान के प्रतिद्वंद्वी दावों के निपटारे के बाद ही विचार किया जाएगा। उत्तरदाता को मौद्रिक बकाया राशि के भुगतान के बाद, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसके दावे पर विचार शुरू किया गया और उससे एस.एस.एल.सी. परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। 9 जुलाई, 1996 को उत्तरदाता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक और अभ्यावेदन दिया। उसके मामले पर अंततः क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा विचार किया गया और उसे 26 फरवरी, 1998 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं पाया गया क्योंकि उसे "अभावग्रस्त परिस्थितियों" में नहीं माना गया था।

4. उत्तरदाता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ के समक्ष ओ.ए. संख्या 610/1998 में क्षेत्रीय चयन समिति के निर्णय को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने 16 जुलाई, 1998 के आदेश द्वारा ओ.ए. को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उत्तरदाता ने मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 12225/1998 दायर की। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं को उत्तरदाता का नाम अनुकंपा के आधार

पर नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के निर्देश के साथ रिट याचिका को अनुमति दे दी। अपील के अधीन निर्णय में उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"उचित मामलों में, परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य होने पर भी, संबंधित विभाग के सचिव की पूर्व स्वीकृति के साथ, यदि परिवार संकट में पाया जाता है, तो अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है।"

आगे कहा गया:

"इसलिए, यह योजना अभावग्रस्तता को नियुक्ति रोकने या देने के मानदंड के रूप में महत्व नहीं देती है। अनुकंपा नियुक्ति मृतक अधिकारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप की जानी चाहिए जब उसके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो।"

(जोर दिया गया)

इसमें आगे कहा गया :

> "स्वीकार्य रूप से, एक छोटा बेटा है जिसकी देखभाल और पालन-पोषण किया जाना है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार को आय की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि परिवार को पेंशन भी मिलती है, नियुक्ति से इनकार करने का कोई आधार नहीं है... योजना में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि जिस मामले में परिवार को पेंशन दी जाती है, वहां नियुक्ति नहीं दी जाएगी।"

5. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के बारे में पूर्णतः गलत धारणा पर आधारित है। उच्च न्यायालय के अवलोकन के विपरीत, मृतक कर्मचारी के आश्रितों की अभावग्रस्तता, मामले को "अनुकंपा नियुक्ति" की योजना के तहत लाने के लिए पहली पूर्व-शर्त है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन उस कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है, जो

उसकी मृत्यु पर अचानक निराश्रित अवस्था में आ गया हो। यदि अनुकंपा नियुक्तियों की योजना से अभावग्रस्तता के तत्व और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को हटा दिया जाता है, तो यह सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में एक आरक्षण बन जाएगा, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत समानता के आदर्श के विपरीत होगा।

6. *स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राज कुमार,* (2010) 11 एस.सी.सी. 661 में, अनुकंपा नियुक्तियों की योजना की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

> "अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का एक स्रोत नहीं है। दूसरी ओर, यह उस सामान्य नियम का एक अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती योग्यता के आधार पर, एक खुली घोषणा के माध्यम से होनी चाहिए जो सभी पात्र व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करे। सेवाकाल में मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों का रोजगार पर कोई विशेष दावा या अधिकार नहीं है, सिवाय उस छूट के जो नियोक्ता द्वारा नियमों के तहत या एक अलग योजना द्वारा दी जा सकती है, ताकि मृतक के परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल नियोक्ता द्वारा ऐसे रोजगार के लिए बनाई गई योजना के आधार पर ही किया जा सकता है और ऐसी योजना के बाहर कोई अधिकार नहीं है। योजना के तहत नियुक्ति तभी की जा सकती है जब योजना लागू हो और उसके समाप्त/वापस लिए जाने के बाद नहीं। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई योजना समाप्त कर दी जाती है, तो उस योजना के तहत नियुक्ति की मांग करने वाला कोई भी लंबित आवेदन भी समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उसे बचाया न गया हो। केवल यह तथ्य कि आवेदन तब किया गया था जब योजना लागू थी, अपने आप में आवेदक के पक्ष में अधिकार पैदा

नहीं करेगा।"

7. केंद्र सरकार ने 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्तियों की योजना के संबंध में संशोधित और समेकित निर्देश जारी किए थे। कार्यालय ज्ञापन का खंड 1 योजना के उद्देश्य का वर्णन निम्नानुसार करता है:-

"योजना का उद्देश्य सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है, जिससे उसका परिवार गरीबी और आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह गया हो, ताकि संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को वित्तीय निराश्रयता से राहत मिल सके और उसे आपात स्थिति से उबरने में मदद मिल सके।"

(जोर दिया गया)

खंड 5 पात्रता मानदंड निर्धारित करता है और निम्नानुसार प्रावधान करता है:-

"(क) *परिवार अभावग्रस्त है और वित्तीय निराश्रयता से राहत के लिए तत्काल सहायता का पात्र है;* और

(ख) अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत सभी प्रकार से पद के लिए पात्र और उपयुक्त होगा।"

(जोर दिया गया)

खंड 7 रिक्तियों की उपलब्धता से संबंधित है और उप-खंड (ख) निम्नानुसार प्रावधान करता है:-

"(ख) अनुकंपा नियुक्तियां किसी भी समूह 'सी' या 'डी' पद में प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के तहत आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5% तक की जा सकती हैं। नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त

श्रेणियों में 5% रिक्तियों को रोक सकता है ताकि उन्हें कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से या अन्यथा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जा सके और ऐसी रिक्तियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरा जा सके।"

8. उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता द्वारा दायर रिट याचिका में कहा गया था कि वह बेरोजगार था। यह भी कहा गया था कि अगस्त, 1988 में, उसका एक मित्र उसे रोजगार की तलाश में सिंगापुर ले गया था। लेकिन वहां भी उत्तरदाता "लाभकारी नौकरी" पाने में असमर्थ रहा। वह 1992 में लगभग चार साल वहां रहने के बाद भारत वापस आ गया। रिट याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि उत्तरदाता वित्तीय उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन उसे निश्चित रूप से अभावग्रस्त या निराश्रित के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

9. उत्तरदाता का मामला स्पष्ट रूप से 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा तैयार की गई संशोधित और समेकित योजना के अंतर्गत नहीं आता था, जो उस समय लागू हो चुकी थी जब उसका मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। अन्यथा भी और 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन के किसी भी संदर्भ के बिना, उत्तरदाता का मामला अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मूल उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा या संतुष्ट नहीं करता है।

10. अतः, उच्च न्यायालय आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि पर था।

11. आगे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाता के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे पर विचार करने में एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य पूरी तरह से छूट गया था। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी ओ.ए. के साथ संलग्न सत्यापन में उसने जून, 1998 में अपनी आयु 58 वर्ष बताई थी। जब तक कि ओ.ए. के सत्यापन में उसकी आयु गलत तरीके से नहीं बताई गई हो, वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते

समय 54 वर्ष का रहा होगा और जब उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका स्वीकार की थी, तब वह 61 वर्ष का रहा होगा। दूसरे शब्दों में, वह पहले से ही सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका था और अनुकंपा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर उसकी नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता था।

12. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, अपील के अधीन आदेश पूरी तरह से अस्थिर है। इसे अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।